



भारत सरकार/Government of India

परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र/Indira Gandhi Centre for Atomic Research

प्रशासन(सतर्कता अनुभाग)/Administration (Vigilance Section)

कल्पाक्कम/Kalpakkam – 603 102

February 02, 2024

Ref.09(01)/06/2024/Vig./1007

Sir,

विषय : आरटीआई अधिनियम 2005-के तहत सूचना मांगने के संबंध में।

Sub: Information sought under RTI Act – 2005

कृपया दिनांक 06.01.2024 के अपने ऑनलाइन आरटीआई आवेदन, पंजीकरण संख्या No.IGCAR/R/E/24/00004 का संदर्भ लें जो इस केंद्र को दिनांक 06.01.2024 को प्राप्त हुआ। मांगी गई सूचना का उत्तर इस प्रकार है।

Information Sought	Reply Provided
मुझे IGCAR में कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant की पदोन्नति नीति Promotion Policy करियर उन्नयन Caree Upgradation Career Progress और एक कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant उच्च अध्ययन Higher Education कर सकता है क्या कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant को उच्च शिक्षा Higher Education प्राप्त करने के लिए क्या नियम Rule हैं सर्विस ज्वाइन करने के कितने समय बाद आप एक कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant को उच्च अध्ययन Higher Education के लिए अनुमति permission देते हैं।	<p>The promotion policy for a Canteen Attendant is available in the Gazette of India No.631 dated Tuesday, October 13, 2015/ASVINA 21, 1937, New Delhi.</p> <p>कैंटीन अटेंडेंट की पदोन्नति नीति भारत का राजपत्र सं.631 दिनांकित मंगलवार अक्टूबर 13, 2015/अश्विन 21, 1937 में उपलब्ध है।</p> <p>The permission for higher studies is given case to case basis in terms of GID 4 under Rule 3 of CCS(Conduct) Rules 1964.</p> <p>उच्चतर अध्ययन के लिए अनुमति सीसीएस (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 के तहत जीआईडी 4 के अनुसार मामले-दर-मामले के आधार पर दी जाती है।</p>
ये जानकारी देने कि कृपा करें। उदहारण के लिए यदि मेरा चयन IGCAR में कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant पद पर होता है तो शुरुआत में वेतन BASIC PAY AND STARTING APPROX IN HAND SALARY WITHOUT HRA कितना	<p>Basic Pay of Work Assistant is Rs.18,000/- Pay Level-1 (as per 7th CPC) कार्य सहायक का मूल वेतन रु. 18,000/- पे लेवल-1 (7^{वें} सीपीसी के अनुसार) है।</p>

<p>मिलता है, पे लेवल PAY LEVEL BASIC PAY कौन सा होता है, हमारा प्रमोशन Promotion कैसे होता है कितने साल बाद होता है और उसका अगला वेतन स्तर NEXT PAY LEVEL क्या होता है ये sixty साल तक पूरी सेवा TOTAL SERVICE देते हुए एक कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant का वेतन स्तर Pay Level Basic Pay कितना हो जाता है और करियर प्रगति Career Progress के बारे में बताएँ।</p>	
<p>और क्या एक कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant ट्रेक चेंज Track Change करके किसी HIGHER POST पर जा सकता है और ट्रेक चेंज Track Change किस आधार पर किया जाता है उच्च योग्यता Higher Qualifications के माध्यम से या केवल कर्तव्य कार्य अनुभव Work Experience of Service Period के माध्यम से एक कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant किसी HIGHER POST पर जा सकता है जैसे वो Technician, टेक्निकल असिस्टेंट Supervisor, इंजीनियर Engineer या फिर कोई और उच्च पद Higher post पर जा सकता है।</p>	<p>The permission for higher studies is given case to case basis in terms of GID 4 under Rule 3 of CCS(Conduct) Rules 1964.</p> <p>उच्चतर अध्ययन के लिए अनुमति सीसीएस (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 के तहत जीआईडी 4 के अनुसार मामले-दर-मामले के आधार पर दी जाती है।</p>
<p>इस बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। IGCAR में कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant का रीटायरमेंट तक का करियर प्रगति Career Progress और उन्नयन Promotion Career Upgradation And Pay Level के बारे में बताएं।</p>	<p>The promotion policy for a Canteen Attendant is available in the Gazette of India No.631 dated Tuesday, October 13, 2015/ASVINA 21, 1937, New Delhi.</p> <p>कैंटीन अटेंडेंट की पदोन्नति नीति भारत का राजपत्र सं.631 दिनांकित मंगलवार अक्टूबर 13, 2015/अश्विन 21, 1937 में उपलब्ध है।</p>
<p>IGCAR विभाग में कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant के लिए उच्च अध्ययन Higher Education के लिए क्या नियम हैं। जब एक कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant IGCAR की Duty/Service में शामिल हो जाता है तो वो कितना समय बाद उच्च शिक्षा Higher Education कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, अध्ययन अवकाश Study Leave के लिए क्या नियम हैं।</p>	<p>The permission for higher studies is given case to case basis in terms of GID 4 under Rule 3 of CCS(Conduct) Rules 1964.</p> <p>उच्चतर अध्ययन के लिए अनुमति सीसीएस (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 के तहत जीआईडी 4 के अनुसार मामले-दर-मामले के आधार पर दी जाती है।</p>
<p>और कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant उच्च शिक्षा Higher Education में कौन से कोर्स कर सकता है। क्या वह डायरेक्ट इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री कर सकता है क्या या फिर सिर्फ आईटीआई ITI या 10+2 एचएससी HSC करने का विकल्प दिया जाएगा इस संबंध में बताएं की सर्विस जाईन करने के बाद आप कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant को कौन सा कोर्स करने देंगे।</p>	

Duty/Service ज्वाइन करने के कितने समय बाद आप एक कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant को उच्च अध्ययन Higher Education के लिए अनुमति देते हैं। यदि कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant इवनिंग कॉलेज Evening College से कार्य कोर्स करे तो उसका क्या नियम है। इस सम्बन्ध में कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant के लिए उच्च अध्ययन HIGHER EDUCATION से संबंधित IGCAR की जो भी उच्च अध्ययन नीति Higher Education Policy है, उसे बताने की कृपा करें।

The permission for higher studies is given case to case basis in terms of GID 4 under Rule 3 of CCS(Conduct) Rules 1964.

और कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant जो उच्च अध्ययन Higher Qualifications Degree Diploma करेगा वह योग्यता Qualifications का IGCAR विभाग में क्या उपयोग होता है। और जो क्वालिफिकेशन Qualifications कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant द्वारा ली गई है उसे प्रमोशन Promotion या हायर पोस्ट Higher Designation Post में जैसे Technician, टेक्निकल असिस्टेंट SUPERVISOR या इंजीनियर बनने या फिर कोई और उच्च पद Higher post के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि हाँ तो उसके क्या नियम होते हैं

उच्चतर अध्ययन के लिए अनुमति सीसीएस (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 के तहत जीआईडी 4 के अनुसार मामले-दर-मामले के आधार पर दी जाती है।

02. यदि सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 की धारा- 19 के अनुसार अपील करना चाहते हैं ,तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी ,इंगांपअके को अपील सकते हैं... अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार हैं |

An appeal as per section – 19 of the RTI Act, 2005, if any, can be preferred to the Appellate Authority, IGCAR, within 30 days of the receipt of this letter. The details of Appellate Authority are given below:

अजीता थरियन/Ajitha Thariyan

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं उपील प्राधिकारी/ Chief Administrative Officer and Appellate Authority


इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र/Indira Gandhi Centre for Atomic Research

कल्पाक्कम/Kalpakkam – 603 102

दूरभाष नं. / Tel.No. 044-27480104

ईमेल/Email: cao@igcar.gov.in

भवदीय / Yours faithfully,



प्रशासनिक अधिकारी /Administrative Officer-III &

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी /Central Public Information Officer

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र /Indira Gandhi Centre for Atomic Research

दूरभाष नं. /Tel. No.: 044-27480364

ईमेल/email: ao1@igcar.gov.in